# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025/3

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सलीम मोहम्मद पुत्र कमालदीन
2. अनवर अली पुत्र कमालदीन
3. फिरोज खां पुत्र कमालदीन
4. मंजूर खां पुत्र कमालदीन

} जाति मुसलमान (मनिहार) निवासीगण बागोली वाटी तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद वार्ड नंबर 11, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़।

जरिए मु.आम सलीम मोहम्मद पुत्र कमालदीन जाति मुसलमान (मनिहार) निवासीगण बागोली वाटी तहसील उदयपुर वाटी हाल आबाद वार्ड नंबर 11, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।

5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुभाष सहू — अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेंट

## निर्णय

दिनांक 24.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 23.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 355/6 की तादादी 6.325 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट्स के पिता कमालदीन को टीसी आवंटित भूमि है। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के ओदश दिनांक 15.04.2006 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.01.2022 को पेश होने पर बिना प्रभावित पक्षकार एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 को जल्दबाजी में पारित कर कानूनी भूल की है। रेस्पो. के पिता कमालदीन जिला झुंझूनु के निवासी थे, जिनकी सूरतगढ़ में भूमि आवंटन की कोई पात्रता नहीं होते हुए गैर कानूनी तरीके से अस्थाई आवंटन किया गया। अस्थाई आवंटन मात्र एक वर्ष के लिए होता है व एक वर्ष पश्चात् स्वतः ही निरस्त हो जाता है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होने एवं अस्थाई आवंटन की जांच कर निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर बिना लीगल माईण्ड एप्लाई किये मनमाना आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर आदेश अपील 15 वर्ष बाद पेश करने एवं देरी का कोई समुचित संतोष जनक कारण दर्ज नहीं होने, के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। रेस्पो. की माता जन्नत बेगम पत्नी कमालदीन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर में सिविल रिट पीटीशन सं. 2258/2006 पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था, जिससे यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी रेस्पो. को आदेश जारी होने की दिनांक से थी, जिसको छिपाते हुए अदालत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अदालतवाला को मुगालते में रखते हुए अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करना दर्ज किया गया है,

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

जिससे रेस्पो. क्लीन हैण्ड से नहीं आने के कारण अपीलाधीन आदेश मियाद बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है जिसे जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपील के साथ प्रा. पत्र 96 सीपीसी पेश कर निवदेन है कि अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोंडेन्ट द्वारा दिनांक 11.11.2024 को मौके पर आकर भूमि में प्रवेश करने का प्रयास करने पर अपीलांट द्वारा आपति की गई तो रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अपने हक में फैसला करवाना बताया, जिस पर नकल प्राप्त कर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश की जा रही है। अतः मियाद कन्डोन की जावे। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता है। एक साल की समयावधि पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाता हैं। इस संवंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 431 व आर.आर.टी. 2018(1) पेज संख्या 364 अवलोकनीय है। इसलिए रेस्पो. को अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने का कोई अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील मियाद वाहर थी, जिसे विना संतोषजनक कारण विलम्ब माफी कर दी। इस संवंध में आर.आर.टी. 2015(2) पेज सं. 1090, आर.आर.टी. 2015(1) पेज सं. 232, आर.आर.टी. 2002(2) पेज सं. 33, आर.आर.टी. 2010 पेज संख्या 801 को अवलोकनीय है। टी.सी. आवंटी को कभी भी रकवा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। टी.सी. आवंटी को उके टीसी आवंटित रकवे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कानूनी नजीर आर.आर.जे. 1999 के पेज सं. 214 के अनुसार इस प्रकार का रेस्पो. को इस प्रकार के रकवे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जैर प्रकरण रकवा जमावंदियों में शुरू से ही आराजीराज था। जैर प्रकरण में रकवा ओसी निरस्ती हेतु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदारसूरतगढ़ को अधिकृत किया थातथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है। अपीलांट के नाम वादगत भूमि नोटिफिकेशन के आधार पर दर्ज की गई है। ऐसी भूमि को जव तक नोटिफिकेशन को निरस्त नहीं करवाया जाता, तब तक रेस्पो. के नाम से किसी भी न्यायिक आधार पर दर्ज करने का अधिकार नही है। नोटिफिकेशन आज दिनांक तक चैलेंज नहीं किया गया है और न ही विड्रो किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वहस के दौरान लिखित वहस पेश कर कथन किया कि उक्त द्वितीय अपील मियाद वाहर पेश की गई है। मियाद का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बिन्दु सर्वप्रथम निर्णित किया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 1999 पेज 98, आर.आर.डी. 2011 पेज 367 में स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा दफा–5 का प्रार्थना पत्र वेग प्रस्तुत किया गया था। आर.आर.डी. 1984 पेज 26 में स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश का इल्म दिनांक 11.11.2024 को बताया एवं कथन किया है कि रेस्पो. दिनांक 11.11.2024 को खेत में आये और कब्जा करने लगे। तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का इल्म हुआ, लेकिन इसी प्रार्थना पत्र में आगे की लाईन में लिखा है कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी नकल हुक्म प्राप्त करने पर हुई, विरोधाभाषी कथन है। प्रार्थना पत्र वेग पेश किया है। अतः अपील अपीलांट मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जावे। रेस्पो. ने उक्त दफा–5 के प्रा. पत्र के साथ पेश शपथ पत्र पर काउंटर शपथ पत्र पेश किया है कि दिनांक 11.11.2024 को रेस्पो. अपीलांट से मिले ही नहीं थे, ना ही अपीलांट का मौके पर कभी कब्जा रहा है। रेस्पो. के पिता को टी.सी. पर भूमि का आवंटन हुआ था। तहसीलदार ने मृतक के नाम से आदेश पारित किया था तथा इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील रेस्पो. द्वारा पेश की गई थी तथा जिस प्रावधान में टी.सी. का आवंटन खारिज किया गया था, वह गलत था। इसी आधार पर प्रथम अपील स्वीकार की गई थी। अपीलांट को यदि हक तय करवाना है तो सिविल न्यायालय से हक तय करवाना होगा। उक्त अपील किसी भी स्तर पर चल नहीं सकती। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पो. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत एवं लिखित बहस उभय पक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 पारित कर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 15.04.2006 को निरस्त कर दिया। वादगत भूमि मृतक कमालदीन को टी.सी. आवंटित हुई थी व उसकी मृत्यु उपरांत तहसीलदार सूरतगढ़ ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 01.05.1997 को उक्त वादगत भूमि बाबत रकम कायमी का आदेश पारित किया जा चुका है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 के अनुसार टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को नही है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर